PRABHAT
EDUCATION FOUNDATION

AN ALTERNATIVE FOR
THOSE WITH SPECIAL NEEDS

EMPLOYMENT

/ रोज़गार

MYTHS : प्राइवेट सेक्टर में विशेष लोगों को काम नहीं मिल सकता।

FACTS : प्राइवेट सेक्टर में विशेष लोगो के लिए 5% रिजर्वेशन होता है और उसके साथ-साथ कई अनेक सुविधाएं होती है जैसे कि रहने को घर इत्यादि।

LAW: सैक्शन 35 ऑफ RWPD एक्ट, 2016

MYTHS

FACTS

MYTHS : जो चल नहीं सकते वो कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते।

FACTS : खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए काम करना पड़ता है और काम करने के लिए पैरों की शक्ति नहीं, अंदर का जज़्बा देखा जाता है। ऐसे ही जज़्बे को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई ऐसे कानून बनाए हैं।
~सरकार इनको कम ब्याज पर लोन देती है ताकि वो खुद काम कर सकें।
~इनकी बनाई हुई चीज़ों को बेचने मे मदद करती है, जैसेकी इनके सिले हुए कपड़े, काग़ज़ की थैलियां और भी बहुत कुछ।

LAW : सैक्शन 19(d) और ऑफ RWPD एक्ट, 2016

MYTHS : काम करते समय जिनके साथ कोई हादसा हो जाए जिससे वो विकलांग हो जाए और उनके कार्य करने की क्षमता कम हो जाए, तो उन्हें काम से निकाल देते है।

FACTS : अगर कोई व्यक्ति काम करते समय विकलांग हो जाता है तो सिर्फ इस कारण उन्हें काम से नहीं निकाल सकते, पर अगर उनका काम ऐसा हो जो की विकलांगता के कारण करना मुमकिन न हो तो उन्हे कोई और काम [जो वो कर सके] दिया जाता है।

LAW : सैक्शन 20(4) ऑफ RWPD एक्ट, 2016

Sexual Harassment

MYTHS

FACTS

Myth : यौन शोषण सिर्फ छूने से ही हो सख्ता है|

Fact :ये दुर्व्यवहार, शब्दों या/और इशारों से भी हो सकता है जैसे किसी स्त्री पर टिप्पणियाँ देना |

Law : सेक्शन 354 A (4) IPC
सजा - अधिकतम 1 वर्ष कारावास/जुर्माना/दोनों

Myth : बार बार किसी स्त्री के रुचि के बिना उनका पीछा या/और बातचीत करना गुनाह नहीं है |

Fact : अगर कोई आदमी किसी भी औरत के नापसंदता के संकेत दिखाने के बावजूद भी उनका पीछा या/और व्यक्तिगत बातचीत करे तो, वो गुनाह है |

Law : सेक्शन 354 (d) IPC
सजा - अधिकतम 3 वर्ष कारावास+जुर्माना |

Myth : यौन शोषण को अनदेखा करने से, वो वहीं ख़त्म हो जायेगा |

Fact : अक्सर यौन शोषण को अनदेखा करना या चुप रहना, उसके लिए सहमति देना समझा जाता है |

Law : सेक्शन 354 IPC
सजा - न्यूनतम 1 वर्ष; अधिकतम 5 वर्ष कारावास+जुर्माना |

A story where all "What if's" were answered

LAW: सैक्शन 31 ऑफ़ RWPD एक्ट, 2016 के तहत सरकार 6-18 साल तक इन्हें मुफ़्त में पढ़ाई करने का अधिकार देती है। [Benchmark disability]

आर्टिकल 21-A. ऑफ़ कांस्टीट्यूशन के तहत सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा सरकार प्रदान करती है।

LAW: सैक्शन 16(5) ऑफ RWPD एक्ट, 2016 के तहत सरकारी स्कूलों में सरकार को ये सुनिश्चित करवाना कि वहां ऐसे ही शिक्षक मौजूद हों जिन्हे समुचित भाषाएँ, तरीके तथा साधनों मे शिक्षा प्रदान करना आता हो। जैसे कि जो बच्चे सुन और बोल न पाते हों उन्हें वो सांकेतिक भाषा में पढ़ा सके।

सैक्शन 17(B) RWPD-शिक्षकों को इस कार्य में और भी बेहतर बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण मिलता रहे।

LAW:-सैक्शन 17(d) ऑफ RWPD एक्ट, 2016 के तहत सरकारी स्कूलों में ऐसे ही शिक्षक होते हैं जो सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करते हैं चाहे वो छात्र विकलांग हो या ना हो।

आर्टिकल 15- कोई शिक्षक या साधारण व्यक्ति किसी भी विकलांग व्यक्ति के साथ उसकी विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

LAW-सैक्शन 16(8) ऑफ RWPD एक्ट, 2016 के तहत सरकार दिव्यांग विद्यार्थियों को आने-जाने की सुविधा और उच्च साहित्य जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध करती है।

LAW- सेक्शन 17(I) ऑफ RWPD एक्ट, 2016